# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** अपील 3334–पीबीआर/14 **जिला** बैतूल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30–10–2014 | अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 24–7–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण कमांक 285/अपील/12–13 में आदेश पारित किया गया है । अपीलार्थीगण की ओर से आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में तृतीय अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । संहिता की धारा 44 (2) के अंतर्गत द्वितीय अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है, तृतीय अपील प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान संहिता में नहीं है । अतः यह अपील प्रथम दृष्टया विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किए जाने के कारण अग्राह्य की जाती है ।<br><br>(स्वदीप सिंह)<br>अध्यक्ष | |

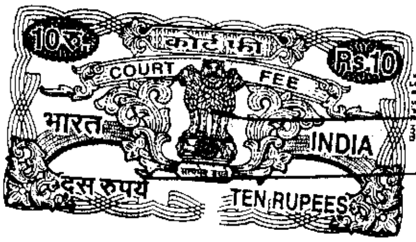

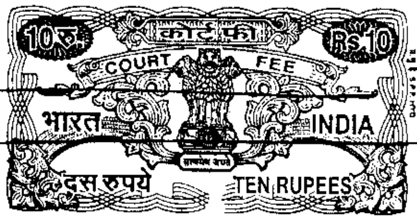


# न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म. प्र.,पीठ भोपाल

A 3334-PBR/14 अपील क्रमांक

1. दमन सिंह राजपूत पुत्र श्री भाव सिंह राजपूत
   आयु – वयस्क
2. श्रीमती संगीता राजपूत पत्नी श्री दमन सिंह राजपूत
   दोनों निवासीगण : ग्राम उमरिया, तह. आमला
   जिला– बैतूल (म.प्र.)

————— अपीलार्थीगण

विरूद्व

श्रीमती नान्ही बाई पुत्री छोटू सिंह
निवासीगण : ग्राम उमरिया, तह. आमला
जिला– बैतूल (म.प्र.)

————— प्रतिप्रार्थी

श्री नरेन्द्र कुमार अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 23.9.14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 23.9.14

## अपील अन्तर्गत धारा 44 भू–राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थीगण माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद ( म. प्र. ) द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 285/ए/12–13 "श्रीमती नान्ही बाई विरूद्व दमन सिंह व अन्य " में दिनांक 24/07/2014 को पारित आदेश ( जिसकी सत्यप्रतिलिपि अपीलार्थीगण को दिनांक 02/08/2014 को प्राप्त हुई ) से दुखित एवं क्षुब्ध होकर निम्नानुसार ठोस तथ्यों व आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करते हैं :–

## : : तथ्य : :